मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में विशेष योजनागत सहायता–पुनर्निर्माण (एस0पी0ए0–आर0) की उच्च स्तरीय समिति (एच0पी0सी0) की बैठक दिनांक 09.12.2020 का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड/अध्यक्ष SPA-R उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता में दिनांक 09 दिसम्बर, 2020 को विशेष योजनागत सहायता–पुनर्निर्माण में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत प्रस्ताव – **आई0टी0आई0 गैरसैंण निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 489.39 लाख** की धनराशि पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1.श्रीमती सौजन्या, सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री रंजीत कुमार सिन्हा, सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री एस0ए0 मुरूगेशन, सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री भूपेश तिवारी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री आर0 राजेश कुमार, निदेशक, प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड
6. श्री दिनेश चन्द्र वर्मा, संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।

बैठक में कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि–

1. वर्ष 2013–14 में आपदा उपरांत प्रस्तावित 22 आई0टी0आई0 में गैरसैंण आई0टी0आई0 सम्मिलित नहीं था। गंगोलीहाट में भूमि न मिलने के कारण तथा गैरसैंण में बेहतर संभावनाओं के दृष्टिगत आई0टी0आई0 गैरसैंण हेतु भूमि का चयन किया गया।
2. वर्ष 2016 में आगणन में कार्य की लागत 385.96 लाख थी वर्ष 2020 में पुनरीक्षित आगणन में यह लागत बढ़कर रू0 489.39 लाख होने का मुख्य कारण पूर्व आगणन DSR वर्ष 2016 की दर पर गठित किया गया था जबकि पुनरीक्षित आगणन DSR वर्ष 2018 के आधार पर तैयार किया गया है, जिसमें मल्टीपरपज हॉल का निर्माण भी शामिल है जो पूर्व में नहीं था। प्रस्तावित आई0टी0आई0 का पहुँच मार्ग पालिटेनिक कैम्पस से जोड़ा गया है,जो पूर्व आगणन में प्रस्तावित नहीं था।
3. प्रस्तावित आई0टी0आई0 के निर्माण में देरी के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश पेयजल निर्माण निगम के स्थान पर उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम का चयन किया गया साथ ही आगणन को तैयार किये जाने में विलम्ब तथा वैश्विक महामारी कोविड–19 के कारण देरी भी इसका एक मुख्य कारण रहा।
4. प्रस्तावित ट्रेड फिटर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राफ्टमैन (सिविल) एवं स्टेनोग्राफर के अनुरूप निर्माण के संबन्ध में अवगत कराया गया कि उक्त ट्रेड हेतु वर्कशॉप, क्लासरूम, आई0टी0लैब और प्रशासनिक क्षेत्र को लिया गया है तथा DGT के मानकों के अनुरूप ही आगणन तैयार किया गया है।
5. वर्ष 2013–14 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा रू0 2500.00लाख (रू0 1700.00 लाख सिविल कार्य हेतु तथा रू0 800.00 लाख उपकरण हेतु) अवमुक्त किये गये। सिविल कार्य के लिये धनराशि रू0 1700.00 लाख में से 17 संस्थानों के सिविल कार्य के आंगणन की धनराशि का योग रू0 1517.5 लाख कार्यदायी संस्था को निर्गत कर दिया गया था तथा रू0 1700.00 लाख में से अवशेष रू0 182.5 लाख मुख्य विकास अधिकारी नैनीताल के पी0एल0ए0 खाते में रख दी गयी थी। वर्ष 2016–17 में भारत सरकार द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 2500.00 लाख के सापेक्ष आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा रू0 2144.16 लाख की धनराशि कौशल विकास विभाग को अवमुक्त की गयी। जिसके क्रम में प्रशासकीय विभाग द्वारा कार्यदायी संस्था को उक्त धनराशि अवमुक्त कर दी गयी। आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा अवशेष धनराशि रू0 355.84 लाख अवमुक्त की जानी है।

6. आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा अवशेष धनराशि रू0 355.84 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि सर्वप्रथम प्रस्तावित निर्माण कार्य के उपयोग हेतु कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग के पी0एल0ए0 खाते में जमा धनराशि रू0 182.50 लाख का उपयोग करने के उपरांत अवशेष धनराशि रू0 355.84 लाख अवमुक्त कर दी जायेगी।

समग्र विचारोपरान्त अध्यक्ष, उच्च स्तरीय समिति/मुख्य सचिव द्वारा प्रस्ताव आई0टी0आई0 गैरसैंण के निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 489.39 लाख की धनराशि पर स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान करते हुये कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग /आपदा प्रबन्धन विभाग को निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. प्रस्तावित आई0टी0आई0 में 1.Fitter 2. Draughtsman 3. Stenographer के कोर्स के स्थान पर 1. Smart phone Technician cum app Tester 2. Computer hardware and network Meintenance 3. Electrician 4. Mechanic auto electrical and electronics के कोर्स को रखा जाय।
2. पूर्व में कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा कार्य प्रारम्भ/सम्पादन नहीं करने पर नोटिस जारी किये जाने के उपरांत भी धनराशि वापस नहीं किये जाने की स्थिति में संयुक्त निदेशक अभियोजन (Prosecution)से विधिक राय लेकर कार्यवाही की जाय।

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या–136।/165/HPC/रा0यो0आ0/2016–2017
देहरादूनः दिनांक 15, दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपिः– निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, वित्त, उत्तरखण्ड शासन।
4. सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तरखण्ड शासन।
5. सचिव, कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग, उत्तरखण्ड शासन।
6. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग,नियोजन विभाग उत्तराखण्ड शासन।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में विशेष योजनागत सहायता–पुनर्निर्माण (एस0पी0ए0–आर0) की उच्च स्तरीय समिति (एच0पी0सी0) की बैठक दिनांक 02.12.2020 का कार्यवृत्त

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 02 दिसम्बर, 2020 को विशेष योजनागत सहायता–पुनर्निर्माण के अन्तर्गत आपदा प्रबन्धन विभाग के प्रस्ताव–**श्री केदारनाथ धाम में रूद्राप्वाइंट से बेस कैम्प तक मार्ग के किनारे 40 फैब्रिकेटेड दुकानों तथा 02 फैब्रिकेटेड विश्रामालयों के निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 245.88 लाख की धनराशि** पर उच्च स्तरीय समिति की बैठक में विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारियों के द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री एस0ए0 मुरूगेशन, सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री भूपेश तिवारी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्रीमती अमिता जोशी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. जिलाधिकारी/अध्यक्ष डी0डी0एम0ए0– रूद्रप्रयाग द्वारा वी0सी0 के माध्यम से।
6. श्री दिनेश चन्द्र वर्मा, संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।

आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि–

1. HPC की बैठक दिनांक 20.11.2018 में श्री केदारनाथ धाम में निर्मित हाट बाजार के विस्तारीकरण कार्य के अन्तर्गत एम0आई0–26 हैलीपैड एवं श्री केदार डोम–जी0एम0वी0एन0 के सामने स्थल विकास सहित 50 फैब्रिकेटिड दुकानों का अतिरिक्त निर्माण कार्य के आगणन लागत रू0 247.13 लाख के अनुमोदनोपरांत दिनांक 05.12.2018 को आवंटन किया गया है।
2. तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 05.05.2019 को श्री केदारनाथ धाम भ्रमण के दौरान उक्त 50 दुकानों में से 40 दुकानों के निर्माणाधीन एवं अवशेष 10 दुकानों के स्थान पर 02 फैब्रिकेटेड विश्रामालयों के निर्माण के निर्देश दिये गये।
3. श्री केदारनाथ धाम में निर्मित हाट बाजार के विस्तारीकरण कार्य के अन्तर्गत–रूद्राप्वाइंट से बेस कैम्प तक मार्ग के किनारे 40 फैब्रिकेटेड दुकानों तथा 02 फैब्रिकेटेड विश्रामालयों के निर्माण कार्य के पुनरीक्षित आगणन की लागत रू0 247.13 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा दिनांक 27.10.2020 को परीक्षणोपरांत रू0 245.88 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

बैठक में जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डी0डी0एम0ए0, रूद्रप्रयाग द्वारा अवगत कराया गया कि–

1. श्री केदारनाथ धाम में 50 फैब्रिकेटेड दुकानों के निर्माण कार्य हेतु दिनांक 10.10.2018 को स्वीकृति प्रदान की गई तथा दिनांक 05.12.2018 को शासन से धनराशि निर्गत की गयी। जिसके क्रम में सम्बन्धित दुकानों का निर्माण कार्यदायी संस्था डी0डी0एम0ए0 (सिविल ईकाई) रूद्रप्रयाग द्वारा दिनांक 31.03.2019 से कार्य प्रारम्भ किया गया।
2. तत्कालीन मुख्य सचिव महोदय द्वारा दिनांक 05.05.2019 को श्री केदारनाथ धाम भ्रमण के दौरान उक्त 50 दुकानों के स्थान पर 40 निर्माणाधीन दुकानों एवं अवशेष 10 दुकानों के स्थान पर 02 फैब्रिकेटेड विश्रामालयों के निर्माण के निर्देश दिये गये।

क्रमशः.....2/–

3. उक्त निर्देशों के क्रम में DDMA रूदप्रयाग द्वारा दिनांक 30.01.2020 को 40 दुकानों तथा 02 फैब्रिकेटेड विश्रामालयों के निर्माण हेतु पुनरीक्षित आगणन तैयार कर शासन की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया। शासन द्वारा आगणन की धनराशि रू0 247.13 लाख के सापेक्ष रू0 1.25 लाख की धनराशि कम करते हुए प्रस्तावित 40 फैब्रिकेटेड दुकानों तथा 02 विश्रामालयों हेतु रू0 245.88 लाख की धनराशि स्वीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। वर्तमान में योजना अन्तर्गत प्रस्तावित समस्त कार्यों यथा 40 दुकानों तथा 02 विश्रामालयों का शत्प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है।

4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष डी0डी0एम0ए0 रूद्रप्रयाग द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि निर्माण कार्य के स्थल में परिवर्तन हुआ है, स्थल उपयुक्त है तथा यह भूमि राजस्व विभाग की है।

समग्र विचारोपरान्त अध्यक्ष, उच्च स्तरीय समिति/मुख्य सचिव द्वारा प्रस्ताव अनुसार 40 फैब्रिकेटेड दुकानों तथा 02 फैब्रिकेटेड विश्रामालयों के निर्माण हेतु आंगणित धनराशि रू. 245.88 लाख पर कार्योत्तर स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान करते हुये DDMA/आपदा प्रबन्धन विभाग को निम्न निर्देश दिये गयेः–

1. आगणन की धनराशि रू0 247.13 लाख के सापेक्ष अनुमोदित रू0 245.88 लाख में से अवशेष धनराशि रू0 1.25 लाख वापिस किया जाये।
2. योजना अन्तर्गत कराये गये निर्माण कार्यों का Technical Audit नियोजन विभाग में स्थापित TAC से कराया जाय।

9.12.20

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
राज्य योजना आयोग
(नियोजन विभाग)
संख्या–1348/165/HPC/रा0यो0आ0/206–2017 टी.सी.–1
देहरादूनः दिनांक 14, दिसम्बर, 2020

प्रतिलिपिः– निम्न को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित।

1. प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. वरिष्ठ निजी सचिव–अपर मुख्य सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, आपदा प्रबन्धन, उत्तरखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डी0डी0एम0एम0 रूद्रप्रयाग।
5. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।

(मनीषा पंवार)
अपर मुख्य सचिव।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विशेष योजनागत सहायता–पुर्नर्निमाण (एस0पी0ए0–आर0) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच0पी0सी0) की दिनांक 18 अगस्त, 2020 को सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त :

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में विशेष योजनागत सहायता–पुर्नर्निमाण (एस0पी0ए0–आर0) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच0पी0सी0) की बैठक दिनांक 18 अगस्त, 2020 को आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा प्रस्तावित कुल 07 कार्य/योजनाओं पर विचार–विमर्श किया गया। बैठक में निम्न अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया –

1. श्रीमती मनीषा पंवार, अपर मुख्य सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन।
2. श्री दिलीप जावलकर, सचिव, पर्यटन, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री एस0ए0मुरूगेशन, सचिव, आपदा प्रबन्धन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मेजर योगेन्द्र यादव, अपर सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. श्री भूपेश तिवारी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. श्रीमती अमिता जोशी, अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. जिलाधिकारी/अध्यक्ष डी0डी0एम0ए0–रूद्रप्रयाग द्वारा वी0सी0 के माध्यम से।
8. श्री प्रवीण कर्णवाल, अधिशासी अभियंता, डी0डी0एम0ए0, रूद्रप्रयाग।

आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष श्री केदारनाथ धाम की निम्न 07कार्ययोजनाओं को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया :–

प्रस्ताव–1 श्री केदारनाथ धाम में सरस्वती नदी पर भैरव मन्दिर मार्ग को जोड़ने हेतु 36 मीटर लम्बे ब्रिज का निर्माण कार्य का पूर्व आगणन लागत रू0 214.16 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत रू0 207.68 लाख के आगणन पर एच0पी0सी0 द्वारा अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा दिनांक 05.12.2018 को रू0 207.68 लाख की स्वीकृति जारी की गयी ।

प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सेतु के निर्माण हेतु पूर्व अनुमोदित आगणन में कार्ययोजना के प्रस्तावित/चयनित कार्यस्थल में आंशिक परिवर्तन के फलस्वरूप पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 214.16 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरांत रू0 207.42 लाख के आगणन पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

नियोजन विभाग द्वारा पृच्छा की गयी कि वर्ष 2018 के आगणन रू0 207.68 लाख की स्वीकृति के उपरांत पूर्व आगणन में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों हुयी, इस संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तावित कार्य को सरस्वती संगम घाट के पीछे की ओर बनाने के कारण Abutement की संरचना में परिवर्तन के दृष्टिगत कार्य को तकनीकी एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से विशिष्टियों एवं मानकों के अनुरूप चयनित कार्यस्थल में आंशिक परिवर्तन के फलस्वरूप डिजाईन एवं ड्राईग को पुनरीक्षित किया गया है। यह भी अवगत कराया गया कि इस ब्रिज का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा पृच्छा की गयी कि आगणन का ड्राईंग एवं डिजाईन को वैट कराया गया है? प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इसका ड्राईंग एवं डिजाईन NIT कुरूक्षेत्र से वैट कराया गया है, परन्तु उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया ।

मुख्य सचिव द्वारा समग्र विचारोपरांत उक्त निर्माण कार्य की ड्राईंग एवं डिजाईन को PWD Department के Design Cell से वैट कराये जाने के साथ ही इसका Technical Safety Audit भी कराने के निर्देश दिये गये तथा समिति द्वारा उक्त योजना कार्य लागत रू0 207.42 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव–2 श्री केदारनाथ धाम में मंदाकिनी नदी पर गरूड़चट्टी मार्ग को जोड़ने हेतु 60 मी0 लम्बे ब्रिज का निर्माण कार्य का पूर्व आगणन लागत रू0 445.21 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत लागत रू0 423.33 लाख के आगणन पर एच0पी0सी0 द्वारा अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा दिनांक 05.12.2018 को रू0 423.33 लाख की स्वीकृति जारी की गयी ।

प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त सेतु के निर्माण हेतु पूर्व अनुमोदित आगणन में प्रस्तावित/चयनित कार्यस्थल में आंशिक परिवर्तन के फलस्वरूप पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 445.21 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 के अनुमोदनोपरांत लागत रू0 415.93 लाख के आगणन पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

मुख्य सचिव महोदय द्वारा पृच्छा की गयी कि आगणन का ड्राईंग एवं डिजाईन को वैट कराया गया है? प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि इसका ड्राईंग एवं डिजाईन NIT कुरूक्षेत्र से वैट कराया गया है, परन्तु उसे समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया ।

मुख्य सचिव द्वारा समग्र विचारोपरांत उक्त निर्माण कार्य की ड्राईंग एवं डिजाईन को PWD Department के Design Cell से वैट कराये जाने के साथ ही इसका Technical Safety Audit भी कराने के निर्देश दिये गये तथा समिति द्वारा उक्त योजना कार्य लागत रू0 415.93 लाख का अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव–3 श्री केदारनाथ धाम में 06 पुरोहित आवासीय भवनों का निर्माण कार्य का पूर्व आगणन लागत रू0 432.35 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत रू0 430.37 लाख के आगणन पर एच0पी0सी0 द्वारा अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा दिनांक 27.05.2019 को रू0 233.48 लाख की स्वीकृति जारी की गयी ।

योजना के निर्माण हेतु पूर्व अनुमोदित कार्ययोजना में प्रस्तावित/चयनित कार्यस्थल में आंशिक परिवर्तन के फलस्वरूप पुनरीक्षित आगणन रू0 432.35 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 के अनुमोदनोपरांत संशोधित लागत रू0 430.27 लाख के आगणन पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि प्रस्तुत संशोधित आगणन श्री केदारनाथ धाम में 06 पुरोहित आवासीय भवनों (12 कमरों) के स्थान पर श्री केदारनाथ धाम में 06 पुरोहित आवासीय भवनों (18 कमरों) का निर्माण किया जाना है। जिसकी पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 432.35 लाख के प्रस्ताव पर TAC नियोजन द्वारा परीक्षणोपरांत रू0 430.37 लाख अनुमोदित की गयी है।

उक्त के संबंध में नियोजन विभाग द्वारा 06 पुरोहितों आवासों के 12 कमरों के स्थान पर 18 कमरों के निर्माण के औचित्य की पृच्छा पर प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त योजना में पूर्व में अनुमोदित 12 कमरों के स्थान पर पुरोहितों से प्राप्त सुझावों एवं प्राप्त निर्देशों के आधार पर नये आगणन में कक्षों की संख्या मास्टर प्लान के अनुसार 18 की गयी है।

समग्र विचार–विमर्श उपरांत मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि उक्त योजना के संबंध में पर्यटन विभाग से मास्टर प्लान के अनुरूप निर्माण संबंधित आख्या प्राप्त कर, समिति के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत की जाये।

प्रस्ताव –4 श्री केदारनाथ परिक्षेत्र में गतिमान पुनर्विकास तथा सौन्दर्यीकरण कार्यों से प्रभावित व क्षतिग्रस्त 05 भवनों की मरम्मत एवं जीर्णोद्वार का निर्माण कार्य का पूर्व आगणन लागत रू0 222.63 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत रू0 197.91 लाख के आगणन पर एच0पी0सी0 द्वारा अनुमोदन उपरांत प्रशासकीय विभाग द्वारा दिनांक 29.05.2019 को वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी।

योजना के निर्माण हेतु पूर्व अनुमोदित आगणन में घोड़े खच्चरों एवं हैड लोड द्वारा ढुलान की लागत को सम्मिलित कर पुनरीक्षित आगणन लागत रू0 222.63 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरांत संशोधित आगणन लागत रू0 219.46 लाख के आगणन पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

नियोजन विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि ऐसे कार्यों के संबंध में विभाग द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण में स्थल/भवनों के फोटो व Video भी दिखाये जायें जिसे समिति को मौके की स्थिति की समग्र जानकारी हो सके। नियोजन विभाग द्वारा संबन्धित 05 भवनों के फोटोग्राफ (रिकार्ड हेतु) उपलब्ध कराने का अनुरोध प्रशासकीय विभाग से किया गया।

समिति द्वारा समग्र विचारोपरांत उक्त कार्ययोजना लागत रू0 219.46 लाख पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव–5 श्री केदारनाथ धाम में सरस्वती नदी पर भैरव मन्दिर मार्ग को जोड़ने हेतु 36 मीटर लम्बे ब्रिज के निर्माण में सुरक्षात्मक कार्य के नये कार्य की आगणन लागत रू0 24.13 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरांत आगणन लागत रू0 24.13 लाख का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। उक्त के संबंध में प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ब्रिज पर Covering Shed, पहुंच मार्ग व सुरक्षात्मक कार्य आदि के कार्य को सम्मिलित किया गया है।

प्रशासकीय विभाग द्वारा कराया गया कि समय–समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुसार पूर्व प्राविधानित सुरक्षा कार्यो के अतिरिक्त ब्रिज पर Covering Shed, पहुंच मार्ग आदि में हुये अतिरिक्त कार्य का आगणन में प्राविधान किया गया है।

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि योजना में सुरक्षात्मक कार्य मूल आगणन में सम्मिलित किया जाना चाहिये था, जिसे विभाग द्वारा नहीं किया गया जो आपत्तिजनक है। इसकी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। विभाग यह भी सुनिश्चित कर ले कि मूल ब्रिज की डिजाईन वैट नहीं करायी गयी है तो उसकी वैटिंग करा ली जाये।

मुख्य सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि नदी पर ब्रिज के सुरक्षात्मक जैसे महत्वपूर्व कार्यों की डिजाईन वैट न होने के कारण कालांतर में समस्यायें आती हैं। अतः PWD Department के Design Cell से वैट कराने के उपरांत प्रस्ताव को समिति के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाये।

प्रस्ताव–6 श्री केदारनाथ धाम में मंदाकिनी नदी पर गरूड़चट्टी मार्ग को जोड़ने हेतु 60 मी0 लम्बे ब्रिज के निर्माण का सुरक्षात्मक काय के नये कार्य की आगणन लागत रू0 77.24 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरांत आगणन लागत रू0 76.04 लाख का प्रस्ताव रखा गया है।

विभागीय प्रस्ताव पर मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि योजना में सुरक्षात्मक कार्य मूल आगणन में सम्मिलित किया जाना चाहिये था, जिसे विभाग द्वारा नहीं किया गया जो आपत्तिजनक है। इसकी भविष्य में पुनरावृत्ति न हो। विभाग यह भी सुनिश्चित कर ले कि मूल ब्रिज की डिजाईन वैट नहीं करायी गयी है तो उसकी वैटिंग करा ली जाये।

समिति द्वारा विचारोपरांत उक्त कार्ययोजना में सिंचाई विभाग का परामर्श लिये जाने तथा पी0डब्ल्यू0डी0 के Design Cell से वैट कराने के उपरांत प्रस्ताव को समिति के समक्ष एक सप्ताह के अन्दर समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

प्रस्ताव–7 श्री केदारनाथ धाम में पुराने घोड़ा पड़ाव में टैन्ट कॉलोनी हेतु स्थल विकास निर्माण कार्य की आगणन लागत रू0 175.53 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 के परीक्षणोपरांत आगणन लागत रू0 175.29 लाख का प्रस्ताव रखा गया है।

नियोजन विभाग द्वारा पृच्छा की गयी कि योजना के अवस्थापना विकास अन्तर्गत क्या पेयजल की व्यवस्था एवं शौचालय/सॉलिड वेस्ट निस्तारण हेतु कोई प्राविधान/ कार्ययोजना तैयार की गयी है तथा स्थल विकास के कार्यों का पी0पी0पी मोड अथवा देवस्थानम बोर्ड के द्वारा निर्माण एवं संचालन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने पर प्रशासकीय विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि गढ़वाल मण्डल विकास निगम एवं स्थानीय निवासियों द्वारा विगत वर्षों में टैंट लगाकर यात्रियों को सुविधायें दी गयी, जबकि Common Facilities के संबंध में अनभिज्ञता व्यक्त की गयी।

मुख्य सचिव द्वारा निर्देश दिये गये कि योजना को पी0पी0पी0 मोड में संचालन नहीं किया जायेगा तथा पूर्व व्यवस्थाओं के अनुरूप ही संचालन पर विचार किया जायेगा। योजना क्रियान्वयन से पूर्व स्थलीय भू–सर्वेक्षण एवं अवस्थापना सुविधाओं यथा शौचालय, बिजली, पेयजल एवं सालिड वैस्ट मैनजमेंट हेतु स्थलीय विक्षण उपरांत ही कार्ययोजना को समिति के समक्ष यथाशीघ्र प्रस्तुत किया जाये।

मुख्य सचिव द्वारा आपदा प्रबन्धन विभाग को निर्देश दिये गये कि श्री केदारनाथजी धाम के मास्टर प्लान की एक प्रति नियोजन विभाग को उपलब्ध करा दी जाये ताकि नियोजन विभाग प्रस्तावित कार्यो का समेकित परीक्षण कर सके।

Om Prakash

(ओम प्रकाश)
मुख्य सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
राज्य योजना आयोग,
(नियोजन विभाग)
संख्याः 851/165/HPC/रा0यो0आ0/2016–17
देहरादूनः दिनांकः 21, अगस्त, 2020

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन ।
2. अपर मुख्य सचिव, नियोजन उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ।
3. सचिव, आपदा प्रबन्धन/पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, डी0डी0एम0ए0, रूद्रप्रयाग।
5. अपर सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड ।
7. गार्ड फाईल।

(मेजर योगेन्द्र यादव)
अपर सचिव।